

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-90

08 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी द्वारा सीएसआर कार्यकलाप

*90. श्री अरूण कुमार सागर:

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की स्थान-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निधियों के उपयोग के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने, कि सीएसआर के अंतर्गत निधियों को विशेष रूप से पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में किया जाए, के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने का है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार को एनटीपीसी द्वारा शुरू किए गए सीएसआर कार्यकलापों की निगरानी के लिए कोई सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (छ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“एनटीपीसी द्वारा सीएसआर कार्यकलाप” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 90 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : एनटीपीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए शुरू किए गए कार्यों एवं खर्च की गई निधियों के ब्यौरे **अनुबंध-I** के रूप में दिए गए हैं।

(ख) : एनटीपीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत खर्च की गई निधियों के क्षेत्रवार ब्यौरे **अनुबंध-II** के रूप में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) : सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीएसआर कार्यकलाप संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) में निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करने वाले सभी सीपीएसईज को कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर संबंधी नियम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अपनी सीएसआर कार्यकलापों के अनुसरण में ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2% खर्च करना अनिवार्य होगा। औसत निवल लाभ का यह निर्धारित प्रतिशत कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर संबंधी नियमों में विनिर्दिष्ट की गई विधि से प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। यदि कोई कम्पनी ऐसी धनराशि को खर्च करने में असफल रहती है तो, उसे खर्च न करने संबंधी कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। तथापि, सीपीएसईज के मामले में केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करना और किसी विशेष वर्ष में इस धनराशि को खर्च न करने के कारणों की व्याख्या करना पर्याप्त नहीं होगा और किसी विशेष वर्ष में खर्च न की गई सीएसआर धनराशि का व्यपगमन नहीं होगा। इसके बजाय धनराशि को उपयोग संबंधी उद्देश्य के लिए अगले वर्ष में जोड़ दिया जाएगा, जिस उद्देश्य के लिए इसे आवंटित किया गया था। जैसा कि अधिनियम में बताया गया है, सीपीएसईज को अपनी सीएसआर कार्यकलापों के चयन में 'स्थानीय क्षेत्र' को प्राथमिकता देनी चाहिए।

डीपीई वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से सीपीएसईज द्वारा सीएसआर व्यय पर वार्षिक विषय-आधारित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसईज के लिए दिशानिर्देश भी जारी कर रहा है। इन निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि ऐसे विषयगत कार्यक्रमों के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसईज के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60% होना चाहिए और आकांक्षी जिलों को, नीति आयोग द्वारा चिह्नित किए गए अनुसार, सीएसआर व्यय में प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 2018-19 से डीपीई द्वारा निर्धारित वार्षिक सीएसआर विषय का विवरण निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	विषय
2018-19	स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल
2019-20	स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण
2020-21	स्वास्थ्य और पोषण
2021-22	स्वास्थ्य और पोषण, अस्थायी अस्पतालों का निर्माण एवं अस्थायी कोविड केयर सुविधाओं की स्थापना सहित कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाना
2022-23	स्वास्थ्य और पोषण
2023-24	स्वास्थ्य और पोषण

एनटीपीसी के अधिकांश स्टेशन पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों से संबंधित समुदायों की महत्वपूर्ण आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। सीएसआर गतिविधियों के लाभ, जो प्रकृति में समावेशी हैं, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों सहित सभी समुदायों तक फैले हुए हैं।

(च) और (छ) : सी एंड एजी, कंपनी अधिनियम/नियम/दिशानिर्देशों के संगत प्रावधानों के अनुसार सीएसआर नीति/परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन की शुद्धता का आकलन करने के लिए सीपीएसईज के सीएसआर व्यय की विषयगत लेखापरीक्षा करता है। इसके साथ-साथ, सीएसआर के लिए एनटीपीसी की नीति के अनुसार एनटीपीसी के स्टेशन नियमित अंतरालों पर नियमित आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण (एनएसएस) और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईई) करते हैं।

सीएसआर के अंतर्गत आने वाले सामाजिक कल्याण संबंधी उन कार्यों का विवरण जो एनटीपीसी द्वारा किए गए

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

केंद्रित क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.12.2023 तक)	लाभार्थी व्यक्ति
स्वास्थ्य	268.71	153.54	123.71	26.35	देश भर में स्थित एनटीपीसी स्टेशनों और परियोजनाओं के आसपास प्रमुख रूप से की गई एनटीपीसी की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों से लगभग 16,00,000 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
शिक्षा	62.01	59.78	21.87	15.49	
पर्यावरण एवं सतत विकास गतिविधियाँ	32.77	30.98	37.65	21.47	
अवसंरचना का विकास	26.70	16.95	14.04	8.62	
पेयजल	3.08	9.59	6.90	4.09	
स्वच्छ विद्यालय अभियान	0.00	38.42	62.79	9.73	
स्वच्छता	14.27	4.84	2.22	1.83	
सड़कों का निर्माण	3.40	3.86	4.39	1.77	
व्यावसायिक प्रशिक्षण	0.95	7.24	4.86	1.56	
सांस्कृतिक/खेल/जानवर	2.41	5.33	14.79	9.49	
दिव्यांगजनों को सहायता	1.44	0.40	0.01	0.32	
महिला सशक्तिकरण	0.78	7.24	5.49	0.68	
अन्य	2.34	18.56	16.60	0.60	
कुल	418.87	356.72	315.32	101.98	

एनटीपीसी संयंत्र/स्टेशन/क्षेत्र मुख्यालय वार सीएसआर व्यय

क्रम सं.	एनटीपीसी स्टेशन/परियोजना/क्षेत्र/सीसी	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	राशि लाख में (रूपये) वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.12.2023 तक)
1	अन्ता गैस विद्युत परियोजना	293.16	409.21	134.42	7.65
2	औरैया गैस विद्युत परियोजना	293.26	342.99	119.58	73.62
3	बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन	549.78	642.93	572.88	321.41
4	बरौनी ताप विद्युत संयंत्र			12.95	
5	बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र	26.38	74.25	536.20	329.12
6	बोंगाईगांव ताप विद्युत		118.61	95.67	117.75
7	कोयला खनन मुख्यालय**		5.46	92.95	29.60
8	कॉर्पोरेट केंद्र*	28093.16	15957.76	13073.47	1616.33
9	दादरी गैस विद्युत परियोजना		61.38		21.90
10	दादरी ताप विद्युत परियोजना	1269.43	1077.19	669.22	56.23
11	दर्लिपाली एसटीपीपी	5.80	23.36	351.57	11.48
12	दादरी, बदरपुर एवं फ़रीदाबाद-मुख्यालय**	26.75	2.28	***-1.41	0.65
13	दुलंगा कोयला खनन परियोजना		162.45	64.36	
14	पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय पटना**	43.05	336.22	548.64	390.92
15	ईआरएचक्यू II**	395.84	108.59	131.24	78.79
16	फरक्का सुपर ताप विद्युत	787.91	1086.26	897.34	119.44
17	फ़रीदाबाद गैस विद्युत स्टेशन	130.61	146.28	126.30	93.41
18	फ़िरोज़ गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत	463.35	423.04	286.38	314.51
19	गाडरवारा एसटीपीपी	27.70	197.51	25.62	37.33
20	हाइड्रो मुख्यालय**	19.47		17.50	22.95
21	झानोर- गांधार गैस विद्युत परियोजना	109.49	106.97	191.03	76.88
22	कहलगांव सुपर ताप विद्युत	717.32	1106.01	1912.31	349.69
23	कांति टीपीएस			89.76	35.71
24	कवास गैस विद्युत परियोजना	63.54	84.71	197.22	57.19
25	केरेन्डरी 'ए' कोयला खनन परियोजना		0.00		
26	खरगोन एसटीपीपी	157.01	370.57	57.18	25.58
27	कोल्डैम हाइड्रो परियोजना	24.53	16.84	155.66	88.62
28	कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना	513.34	2582.43	757.00	144.42
29	कुडगी एसटीपीपी	13.36	33.39	298.94	360.93
30	लारा एसटीपीपी		63.70	121.36	11.77
31	मौदा सुपर ताप विद्युत	62.09	1.94	10.32	119.53
32	नबीनगर एसटीपीएस			650.51	145.50
33	नोखरा सौर पीवी परियोजना -300 मेगावाट		15.25		
34	उत्तरी करणपुरा ताप विद्युत	1.32	323.55	40.76	7.51
35	उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय**	964.90	1461.01	1518.22	783.43
36	पकरी बरवाडीह कोयला खनन प्रो		518.52	156.60	15.01
37	राजीव गांधी सीसीपीपी	435.70	370.30	30.42	130.88

38	रामागुंडम सुपर ताप विद्युत	435.73	702.95	472.74	426.59
39	रिहंद सुपर ताप विद्युत	1174.69	986.81	354.87	236.46
40	सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना	49.53	697.84	998.72	314.46
41	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत	390.09	670.75	212.21	109.08
42	सीपत सुपर ताप विद्युत परियोजना	773.05	561.00	1616.80	433.28
43	सोलापुर एसटीपीपी	435.17	210.84	266.27	595.93
44	दक्षिणी क्षेत्र मुख्यालय**	***-40.33	27.79	39.74	281.25
45	टीएंडसीसी कार्यालय कोलकाता	11.40			
46	तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना	0.00	195.88	438.92	82.35
47	तालचेर सुपर ताप विद्युत	534.41	1184.52	942.51	293.44
48	तालचेर ताप विद्युत स्टेशन	885.79	944.49	464.23	56.62
49	टांडा ताप विद्युत परियोजना	147.46	131.15	270.50	109.26
50	तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो परियोजना		0.00		78.94
51	तेलंगाना सुपर ताप विद्युत	328.46	182.99	333.84	11.83
52	विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना	498.80	895.82	662.92	365.60
53	पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय**	773.81	23.54	297.46	138.62
54	पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय**	0.25	24.41	218.51	668.78
	कुल योग	41886.57	35671.77	31532.41	10198.24

*कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा खर्च किए गए सीएसआर को विभिन्न राज्यों में कई सीएसआर गतिविधियों में शामिल किया गया है, जैसे पूरे भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड को सहायता, तीरंदाजी खेल को सहायता, डॉट्स-सह-डीएमसी कार्यक्रम को सहायता, एनएफएनडीआरसी को सहायता आदि।

** क्षेत्रीय मुख्यालयों द्वारा सीएसआर खर्च उनके क्षेत्र के कई राज्यों में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर किया जाता है

***पिछले वर्षों से लेखांकन समायोजन

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-925
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी की संस्थापना

925. श्री गौरव गोगोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान में बिहार और असम सहित पूर्वी क्षेत्र के किसी भी राज्य में उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाला कोई ताप विद्युत संयंत्र नहीं है, जबकि ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तत्संबंधी प्रगति धीमी है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में उक्त संयंत्रों द्वारा SO₂ उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) स्थापित करने के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त संयंत्रों में एफजीडी की स्थापना हेतु राज्य-स्तरीय नियामक निकायों द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानदंडों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और झारखंड सहित, में अवस्थित ताप विद्युत संयंत्र, एमओईएफएंडसीसी अधिसूचना दिनांक 05.09.2022 द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के उन्नयन और संस्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।

सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए, ताप विद्युत संयंत्र फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) उपकरण संस्थापित कर रहे हैं, जिसके लिए एमओईएफएंडसीसी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई अनुपालन की समय-सीमाएं (बंद न किए जाने वाली इकाइयों के लिए) निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	श्रेणी	स्थान/क्षेत्र	समय-सीमा
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 10 किमी के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार)	दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक
2	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-पहुंच वाले शहरों के 10 किमी के दायरे में (सीपीसीबी द्वारा परिभाषित)	दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल शहरों के अलावा	दिनांक 31 दिसंबर, 2026 तक

विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के बाद गैर-अनुपालन के लिए, एमओईएफएंडसीसी ने बंद न किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों पर निम्नलिखित पर्यावरण मुआवजा निर्धारित किया है:

समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालक संचालन	पर्यावरणीय मुआवजा (रूपये प्रति यूनिट बिजली उत्पादन)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उससे भी आगे	0.40

राज्यों में उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा की जा रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) टीपीपीज़ द्वारा एफजीडी की संस्थापना की प्रगति की निगरानी में सीपीसीबी की सहायता करता है। एफजीडी संस्थापना के सभी चरणों, व्यवहार्यता नामतः शुरू किए गए अध्ययन, पूर्ण किए गए व्यवहार्यता अध्ययन, बनाए गए निविदा विनिर्देशों, जारी किए गए एनआईटी, अवार्ड की गई बोलियां और कमीशन किए गए एफजीडी के लिए निगरानी की जाती है। ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SO₂ उत्सर्जन मापदंडों का अनुपालन करने की समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-927
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करना

927. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन, संचालन और निपटान के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करने और बंद किए गए ताप विद्युत संयंत्र स्थलों को नष्ट करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के बंद होने के बाद अपनी नौकरी खो चुके श्रमिकों और नैमित्तिक कामगारों के पुनर्वास के लिए कोई कार्रवाई की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन, हैंडलिंग और निपटान और स्क्रेप किए गए ताप विद्युत संयंत्रों को नष्ट करने और निपटान के लिए, ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) से विभिन्न नियमों और विनियमों, दिशानिर्देशों का पालन करने की अपेक्षा है जैसे: -

- I. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1976 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत लागू पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन।
- II. खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 का अनुपालन।
- III. कारखाना अधिनियम-1948 का अनुपालन।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार उत्पादन एक गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि है। कोयला आधारित ताप यूनिट को बंद करने और उन मजदूरों और आकस्मिक श्रमिकों के पुनर्वास करने का निर्णय, जो कोयला आधारित संयंत्र के बंद होने के बाद अपनी नौकरी खो सकते हैं, विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा अपने स्वयं के तकनीकी-आर्थिक और वाणिज्यिक विचारों और पर्यावरणीय कारणों के आधार पर लिया गया है। सामान्य तौर पर, कोयला आधारित इकाई के बंद होने के बाद, जो मजदूर और आकस्मिक श्रमिक अपना काम खो सकते हैं, उन्हें मामला-दर-मामला आधार पर यूटिलिटी के अन्य उपलब्ध कार्यों में फिर से नियोजित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में अर्थात् दिनांक 01.01.2021 से 31.01.2024 तक झारखंड सहित 2344 मेगावाट क्षमता की 19 कोयला आधारित इकाइयों की कार्यावधि समाप्त हो चुकी है। अभ्यर्पित कोयला आधारित इकाइयों की राज्य-वार सूची **अनुबंध** पर दी गई है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सभी ताप विद्युत यूटिलिटीयों को एक एडवाइजरी जारी की है कि वे वर्ष 2030 से पहले अपने कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों (200 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली इकाइयों) का अभ्यर्पण या पुनर्उपयोग न करें और भविष्य में अपेक्षित ऊर्जा मांग परिदृश्य और क्षमता की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक हो तो, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आरएंडएम) गतिविधियां करने के बाद ताप इकाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

**पिछले तीन वर्षों में अभ्यर्पित कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों की सूची
(दिनांक 01.01.2021 से 31.01.2024 तक)**

क्रम सं.	स्टेशन/संयंत्र का नाम	राज्य	ईंधन	यूनिट सं.	यूनिटों की सं.	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अभ्यर्पित (मेगावाट)	को अभ्यर्पित
1	बोकारो "बी" टीपीएस	झारखण्ड	कोयला	3	1	210 (1*210)	210	01.04.2021
2	कोरबा-III	छत्तीसगढ़	कोयला	1,2	2	240 (2*120)	240	01.01.2021
3	तालचेर (पुरानी) टीपीएस	ओडिशा	कोयला	1,2,3,4,5,6	6	460 (4*60+ 2*110)	460	01.04.2021
4	कोराडी टीपीएस	महाराष्ट्र	कोयला	7	1	210 (1*210)	210	02.09.2021
5	मुजफ्फरपुर टीपीएस	बिहार	कोयला	1,2	2	220 (2*110)	220	31.01.2022
6	बंदेल टीपीएस	पश्चिम बंगाल	कोयला	1	1	60(1*60)	60	28.03.2022
7	कोलाघाट टीपीएस	पश्चिम बंगाल	कोयला	1,2	2	420 (2*210)	420	28.03.2022
8	उबरा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	कोयला	7	1	94 (1*94)	94	13.10.2022
9	दुर्गापुर टीपीएस	पश्चिम बंगाल	कोयला	4	1	210 (1*210)	210	19.12.2022
10	पारीछा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	कोयला	1,2	2	220 (2*110)	220	11.10.2023
कुल					19		2344	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-944
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

राष्ट्र के विद्युत बाजार का आधुनिकीकरण

944. श्री कृष्णपाल सिंह यादव:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्रीमती रंजीता कोली:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में अब तक विद्युत का कुल कितना उत्पादन किया गया है;
- (ख) सरकार द्वारा राष्ट्र के विद्युत बाजार के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन विशेषकर विद्युत ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के निर्बाध एकीकरण को सुकर बनाने और विद्युत उत्पादन संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा डिस्कॉम, विद्युत उपभोक्ताओं और विद्युत उत्पादन कंपनियों सहित विद्युत क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा पारेषण और वितरण हानि में पर्याप्त कमी लाने के लिए विद्युत क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने हेतु कौन-कौन सी पहल कार्यान्वित की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 तक ऊर्जा के मामले में देश में विद्युत की मांग 50.8 प्रतिशत बढ़ गई है। व्यस्ततम मांग वर्ष 2013-14 में 135918 मेगावाट से बढ़कर सितंबर 2023 में 243271 मेगावाट हो गई है। हम मांग में वृद्धि को पूरा करने में सक्षम हैं क्योंकि हमने वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच 196558 मेगावाट क्षमता जोड़ी है जिसमें 104059 मेगावाट आरई क्षमता शामिल है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के दौरान देश में उत्पादित विद्युत की मात्रा का विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

पर्याप्त क्षमता वृद्धि को समायोजित करने के लिए, भारत सरकार ने आयोजना की और 1,89,052 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें जोड़ीं, इसी अवधि में (2013-14 से 2022-23) देश के एक कोने से

दूसरे कोने तक 1,16,540 मेगावाट अंतरण क्षमता के साथ पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड से जोड़ा, इसके साथ ही, पूरे देश को एक राष्ट्रीय बाजार में एकीकृत किया।

हमने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक्सचेंज में ग्रीन डे अहेड मार्केट और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जैसे नए उत्पाद प्रस्तुत किए हैं।

भारत विश्व की तीव्रतम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में से एक है और दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। सरकार ने हरित ऊर्जा कॉरीडोरों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। आज नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 180800 मेगावाट है और 103660 मेगावाट संस्थापित की जा रही है।

सरकार ने विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाने के लिए ठोस प्रयास किये हैं। एटीएंडसी हानि 2014-15 में 25.72% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.40% हो गया है। जेनकोस के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतन हैं और जेनकोस का पिछला बकाया दिनांक 03.06.2022 को 1,39,947 करोड़ रुपये से घटकर दिनांक 31.01.2024 तक 49,451 करोड़ रुपये हो गया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के कारण डिस्कॉम को सब्सिडी भुगतान अद्यतन है।

एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर मीटर लगाने के लिए डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के अंतर्गत निधियां दी गईं और चोरी को दुष्कर बनाने के लिए हानि संभावित क्षेत्रों में कवर्ड वायर लगाए गए;
- (ii) ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित की गई;
- (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड संशोधित किए गए कि यदि डिस्कॉम घाटे में चल रहे हैं तो आरईसी/पीएफसी द्वारा उनको तब तक कोई ऋण न दिया जाए, जब तक कि वे हानियों को कम करने के लिए कोई योजना न बना लें, उस पर अपनी राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त न कर लें और इसे भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत न कर लें; और इन चरणों का पालन करें;
- (iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सस्ती विद्युत पहले भेजी जाए, एक मेरिट ऑर्डर डिस्पैच सिस्टम स्थापित किया गया;
- (v) डिस्कॉमों पर बोझ कम करने के लिए विलंब भुगतान अधिभार कम किया गया;
- (vi) यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए कि यदि आपूर्ति की गई विद्युत के बदले में जेनको को भुगतान नहीं किया जाता है, तो चूक करने वाले डिस्कॉमों की पहुँच विद्युत एक्सचेंज से स्वचालित रूप से कट जाएगी;
- (vii) यदि डिस्कॉम हानियों को कम करने के उपाय करता है, तो जीडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया;
- (viii) यह प्रावधान किया गया कि घाटे में चल रहे डिस्कॉमों को आरडीएसएस के अंतर्गत तब तक कोई निधि नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे अपनी हानियों को कम करने के लिए उपाय नहीं करेंगे;
- (ix) यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं कि टैरिफ अद्यतित हैं।

उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप, विद्युत क्षेत्र व्यवहार्य और लाभदायक बन गया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) में देश में उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा का विवरण

(सभी आंकड़े एमयू में)

ईंधन	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (दिसंबर तक)	
ताप विद्युत	कोयला	950937.55	1041487.43	1145907.58	932258.66
	डीजल	126.31	117.24	229.71	300.5
	हाई स्पीड डीजल	0	0	0	0
	लिग्नाइट	30505.68	37094.04	36188.34	24324.57
	मल्टी ईंधन				
	नाफथा	101.41	0	0.83	0
	प्राकृतिक गैस	50842.59	36015.77	23884.21	23903.53
ताप विद्युत कुल	1032513.54	1114714.48	1206210.67	980787.26	
न्यूक्लियर	43029.08	47112.06	45861.09	36263.36	
जल विद्युत	150299.52	151627.33	162098.77	114757.77	
भूटान से आयात	8765.5	7493.2	6742.4	4672.1	
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (वृहत जल विद्युत को छोड़कर)	147247.508	170912.297	203552.685	172488.39	
कुल जोड़	1381855.15	1491859.37	1624465.61	1308968.88	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1020
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विलंब भुगतान अधिभार नियम

1020. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:

श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों को सख्ती से लागू करने से देश में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता पुनः प्राप्त होगी और उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निवेशक आकर्षित होंगे;
- (ख) यदि हां, तो एलपीएस नियमों के कार्यान्वयन से पहले और बाद में राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कुल बकाया राशि कितनी है; और
- (ग) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : डिस्कॉमों के वित्तीय संकट के प्रमुख संकेतकों में से एक उत्पादन कंपनियों (जेनकोज़) पर विद्युत क्रय की बकाया देयराशियों का बढ़ना है। विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम, 2022 के कार्यान्वयन से, बकाया देयराशियों की वसूली में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। राज्यों की कुल बकाया देयराशियां जो दिनांक 03.06.2022 को 1,39,947 करोड़ रुपये थीं, दिनांक 31.01.2024 तक अठारह (18) मासिक किस्तों के समय पर भुगतान के बाद कम होकर 49,452 करोड़ रुपये हो गई हैं। इस नियम के अंतर्गत खुली पहुँच के विनियमनों से बचने के लिए वितरण कंपनियां भी अपनी वर्तमान देयराशियों का समय पर भुगतान कर रही हैं।

इस नियम से न केवल यह सुनिश्चित हुआ है कि बकाया देय राशियाँ समाप्त हो गई हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि वर्तमान देय राशियों का भुगतान समय पर हो। यह देखा गया है कि इस नियम ने डिस्कॉमों में वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक क्षेत्र में निवेश की सुविधा मिलेगी।

(ग) : भारत सरकार वित्तीय रूप से सुरक्षित, व्यवहार्य और स्थिर विद्युत क्षेत्र (विशेष रूप से वितरण खंड) के उद्देश्य से विभिन्न कार्य निष्पादन से जुड़ी और परिणाम उन्मुख स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इन पहलों को डिस्कॉमो और राज्य सरकारों में वांछित वित्तीय व्यवस्था लाने के लिए वित्तीय और प्रचालनात्मक मुद्दों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। उठाए गए कदमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

- (i) राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाना।
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ अद्यतित है।
- (iii) समय पर ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना।
- (iv) यह सुनिश्चित करना कि जेनकोज़ को समय पर भुगतान किया जाए।
- (v) संशोधित विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है कि यदि डिस्कॉम घाटे में है तो राज्य सरकार का कोई भी डिस्कॉम, अथवा जेनको पीएफसी/आरईसी से ऋण प्राप्त नहीं कर पाएगा, जब तक कि डिस्कॉम राज्य सरकार की मंजूरी के साथ हानि में कमी के लिए कोई योजना नहीं बना लेता तथा इसे केंद्र सरकार के पास प्रस्तुत करता है और उस हानि कमी ट्रेजेक्ट्री का पालन करता है।
- (vi) यदि डिस्कॉम हानि में कमी के उपाय लागू करता है तो जीडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने का प्रोत्साहन देना।
- (vii) डीडीयूजीजेवाई आईपीडीएस और सौभाग्य के अंतर्गत कुल 1.85 लाख करोड़ के निर्माण कार्य निष्पादित किए गए तथा 2,927 नए उप-स्टेशन जोड़े गए, 3,965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर संस्थापित किए गए, 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का फीडर पृथक्करण किया गया है एवं 8.35 लाख सीकेएम एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई, उच्च हानि वाले क्षेत्रों में कवर किए गए तार प्रदान किए गए हैं, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन भूमिगत केबलिंग एरियल बंडल केबल आदि जैसे कार्य किए गए हैं।
- (viii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता मिलेगी। अब तक 1.22 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्यों तथा 1.30 लाख करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है। स्वीकृत अवसंरचना कार्यों में मुख्य रूप से 15.32 लाख सीकेएम नई/उन्नत की जाने वाली एचटी एवं एलटी लाइनें, 4.78 लाख नई/उन्नत किए जाने वाले वितरण ट्रांसफार्मर, 1,110 नए/उन्नत किए जाने वाले सबस्टेशन आदि शामिल हैं। इन कार्यों के कार्यान्वयन से अंततः डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार में योगदान मिलेगा जिससे अंतिम उपभोक्ता को लाभ होगा।
- (ix) यह प्रावधान करते हुए कि हानि में चल रही डिस्कॉम भारत सरकार की किसी भी विद्युत क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत निधि निकासी नहीं कर पाएंगी, जब तक कि वे हानि में कमी के लिए उपाय नहीं करती।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1036
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

कोयला खान परियोजना से प्रभावित परिवार

1036. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने झारखंड में पाकड़ी/बाड़वडीह कोयला खदान परियोजना में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, का अनुपालन न करने हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड के विरुद्ध कोई कदम उठाया है अथवा कानूनी कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के पास झारखंड में पाकड़ी/बाड़वडीह परियोजना से प्रभावित परिवारों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने हेतु कोई वैकल्पिक समाधान तंत्र विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास पाकड़ी/बाड़वडीह कोयला खदान परियोजना से प्रभावित परिवारों के समुचित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई योजना विद्यमान है; और
- (घ) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के प्रावधान पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के लिए लागू नहीं होते हैं, क्योंकि भूस्वामियों और परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को दिए जाने वाली सभी अधिसूचनाएं और लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से पहले, अर्थात् दिनांक 01.09.2015 से पहले तय किए गए थे।

(ख) : कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास), अधिनियम, 1957 की धारा 14(2) के अंतर्गत ट्रिब्यूनल सेटअप के माध्यम से मुआवजे के विवादों के निपटारे का प्रावधान है।

(ग) और (घ) : पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में, झारखंड सरकार ने भूस्वामियों और पीएएफ को दिए जाने वाले मुआवजे/लाभों के लिए एक संकल्प अर्थात् संकल्प (संकल्प संख्या 116/आर दिनांक 27.02.2013) जारी किया है। संकल्प के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1089
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान

1089. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिजली की कुल आवश्यकता का ब्यौरा क्या है और उसकी तुलना में कितनी बिजली की आपूर्ति की जा रही है;
- (ख) बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्रों के योगदान का ब्यौरा क्या है और निजी क्षेत्र से उत्पादित बिजली किस दर पर खरीदी जा रही है;
- (घ) बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या कृषि क्षेत्र के लिए 24 घंटे तीन-फेज बिजली प्रदान करने हेतु कोई योजना है और यदि हां, तो किसानों को 24 घंटे बिजली प्रदान करने की निर्धारित तिथि क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। हमने अप्रैल, 2014 से 196558 मेगावाट की उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे हमारा देश विद्युत की कमी वाले देश से विद्युत की पर्याप्तता वाले देश में बदल गया है। हमने उत्पादन क्षमता को मार्च, 2014 में 248554 मेगावाट से 72.3% बढ़ाकर दिसंबर, 2023 में 428299 मेगावाट कर दिया है। ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर वर्ष 2013-14 में 4.2% से घटकर वर्ष 2023-24 में 0.3% हो गया है। यहां तक कि ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच यह अंतर आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं और डिस्कॉमो की वित्तीय बाधाओं आदि के कारण होता है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात वर्ष 2023-24 (दिसंबर 2023 तक) के दौरान अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ख) : हमने देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- (i) राष्ट्र के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2023-32 के बीच अनुमानित क्षमता वृद्धि नीचे दी गई है:

- क) 26380 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता निर्माणाधीन है, 11960 मेगावाट के लिए बोली लगाई जा चुकी है और 19050 मेगावाट मंजूरी के अधीन है। वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित ताप विद्युत क्षमता वृद्धि 93380 मेगावाट होगी।
- ख) 18033.5 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता (रुकी हुई परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित जल विद्युत क्षमता वृद्धि 42014 मेगावाट होने की संभावना है।
- ग) 8000 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित परमाणु क्षमता वृद्धि 12200 मेगावाट होगी।
- घ) वर्तमान में 103660 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-32 तक अनुमानित आरई क्षमता वृद्धि 322000 मेगावाट होगी।

इस प्रकार, कुल 156073.5 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित क्षमता वृद्धि 469594 मेगावाट होगी।

- (ii) भारत वर्ष 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 500000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 तक 500000 मेगावाट आरई क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना को आरई क्षमता वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 180800 मेगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता पहले ही एकीकृत की गई है।
- (iii) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- (iv) सरकार ने हरित ऊर्जा कॉरीडोरों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 180800 मेगावाट है और 103660 मेगावाट संस्थापना के अधीन है।
- (v) हमने विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाया है। एटीएंडसी हानियां वर्ष 2014-15 में 25.72% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.40% हो गया है। एलपीएस नियमों के कार्यान्वयन के बाद से, जेनकोज की पिछली देय राशियाँ दिनांक 03.06.2022 को 1,39,947 करोड़ रुपये से घटकर दिनांक 31.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार 49,451 करोड़ रुपये हो गयी है। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम मौजूदा देय राशियों का भुगतान समय पर कर रही हैं।

(ग) और (घ) : दिनांक 31.12.2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुल संस्थापित क्षमता 428299 मेगावाट है जिसमें से निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 219691 मेगावाट है। निजी क्षेत्र से उत्पादित विद्युत जिस दर पर खरीदी जा रही है, वह **अनुबंध-II** में दी गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार उत्पादन एक गैर-लाइसेंसिकृत गतिविधि है। निजी क्षेत्र सहित विद्युत उत्पादन में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

- (i) भारत में विद्युत क्षेत्र में सभी स्रोतों (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) से उत्पादन के लिए 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।

- (ii) दिनांक 30 जून, 2025 तक आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट,
- (iii) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा;
- (iv) आरई परियोजनाओं की बड़े पैमाने पर संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि तथा पारेषण प्रदान करने हेतु अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना;
- (v) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनों को बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना;
- (vi) निवेश आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास सेल की स्थापना;
- (vii) हरित ऊर्जा खुली पहुँच नियम, 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन हेतु अधिसूचना;
- (viii) वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आरई विद्युत बोलियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्टरी की अधिसूचना जारी की जाएगी। इस ट्रेजेक्टरी के अंतर्गत, 50 गीगावॉट/वर्ष आरई बोलियां जारी की जाएंगी;
- (ix) जलविद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय;
- (x) पंप भंडारण परियोजना सहित जलविद्युत परियोजना के लिए सक्षम अवसंरचना, अर्थात् सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता।
- (xi) दिनांक 10.04.2023 को पम्पड भंडारण परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

(ड) : भारतीय विद्युत क्षेत्र ने पिछले एक दशक में विद्युत की कमी से पर्याप्त विद्युत वाला देश बनने में एक लंबा सफर तय किया है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीम को कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करने, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण और संवर्धन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग संबंधी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित किया गया था। 1.17 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ, 18374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके साथ-साथ, 2927 नए सबस्टेशन जोड़े गए हैं, 3965 मौजूदा सबस्टेशनों का उन्नयन किया गया है, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर संस्थापित किए गए हैं, 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का फीडर पृथक्करण किया गया है और 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) की एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2015 में विद्युत की उपलब्धता 12 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है।

इसके अतिरिक्त, इस समय चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, वितरण अवसंरचना कार्यों के हिस्से के रूप में कृषि फीडर पृथक्करण एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि खपत के लिए विद्युत की आपूर्ति के लिए समर्पित पृथक फीडरों को सस्ती विद्युत की आपूर्ति के लिए पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर ऊर्जा से प्रदान की जाएगी, जिससे डिस्कों और राज्य सरकारों को सब्सिडी का बोझ कम करने का लाभ मिलेगा। इससे कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की सुविधा मिलेगी।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के दौरान अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के ब्यौरे:

वर्ष	ऊर्जा			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2020-21	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4
2021-22	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5
2022-23 (दिसंबर, 2022 तक)	11,39,280	11,33,197	6,084	0.5
2023-24 (दिसंबर, 2023 तक*)	12,24,291	12,21,152	3,139	0.3

*अनंतिम

उस दर के ब्यौरे जिस पर निजी क्षेत्र से उत्पादित विद्युत खरीदी जा रही है

क्रम सं.	यूटिलिटी/विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	यूटिलिटी	ऊर्जा स्रोत - कोयला/गैस/नापथा/ एलएसएचएस/डीजल/हाइड्रो	सीईआरसी/ एसईआरसी द्वारा अनुमोदित विद्युत की बिक्री की दर (पैसे/किलोवाट)
1	चुजाचेन एचईपी	110	गति इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	हाइड्रो-हाइड्रो	384
2	श्रीनगर एचईपी	330	अलकनंदा एचपीसीएल	हाइड्रो-हाइड्रो	659
3	जेपी विष्णुप्रयाग एचईपी	400	जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड,	हाइड्रो-हाइड्रो	118
4	मलाना एचईपी	86	मलाना पीसीएल	हाइड्रो-हाइड्रो	467
5	मलाना चरण-II एचपीएस	100	एवरेस्ट पीपीएल	हाइड्रो-हाइड्रो	390
6	करचम वांगटू एचईपी	1045	जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड	हाइड्रो-हाइड्रो	287
7	बीएसपीए-II एचईपी	300	जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड	हाइड्रो-हाइड्रो	219
8	एलन दुहांगन एचईपी	192	एडी हाइड्रो पावर लिमिटेड	हाइड्रो-हाइड्रो	463
9	भीरा	300	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	हाइड्रो-हाइड्रो	152
10	भिवपुरी	75	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	हाइड्रो-हाइड्रो	385
11	खोपोली	72	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	हाइड्रो-हाइड्रो	649
12	भंडारदरा एचईपी चरण-II	34	डोडसन लिंडब्लॉम हाइड्रो	हाइड्रो-हाइड्रो	252
13	उलुंकल	7	केएसईबी	हाइड्रो-हाइड्रो	244
14	इरुतुकनम	5	केएसईबी	हाइड्रो-हाइड्रो	282
15	कारिककयम	15	केएसईबी	हाइड्रो-हाइड्रो	416
16	मीनवेलोम	3	केएसईबी	हाइड्रो-हाइड्रो	488
17	पथनकयम	8	केएसईबी	हाइड्रो-हाइड्रो	349
18	चांजू । एचईपी	36	आईए हाइड्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	हाइड्रो-हाइड्रो	384
19	बुधिल एचईपी	70	बुधिल	हाइड्रो-हाइड्रो	347
20	महात्मा गांधी टीपीपी झज्जर पावर लिमिटेड	1320	सीएलपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (झज्जर पावर लिमिटेड)	ताप विद्युत-कोयला	451
21	गामा इन्फ्राप्रॉप 225 मेगावाट गैस आधारित सीसीपीपी	214	गामा इन्फ्राप्रॉप प्राइवेट लिमिटेड	ताप विद्युत-गैस आरएलएनजी	603
22	जेपी बीना टीपीपी	500	जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	504
23	जेएनएसटीपीपी (जेपी निगरी) सुपर ताप विद्युत संयंत्र	1320	जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	239
24	अनूपपुर ताप विद्युत स्टेशन	1200	एमबी पावर	ताप विद्युत-कोयला	429
25	एस्सार पावर एमपी लिमिटेड (महान एनर्जी लिमिटेड) अदानी संयंत्र	1200	एस्सार पावर एमपी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	229
26	झाबुआ विद्युत लिमिटेड	600	झाबुआ पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	490
27	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाइमेर) लिमिटेड/राज वेस्ट पावर लिमिटेड राजस्थान	1080	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	ताप विद्युत-एलआईजी	420
28	राजपुरा टीपीएस	1400	नाभा पावर लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	ताप विद्युत-कोयला	438
29	तलवंडी साबो विद्युत लिमिटेड,	1980	तलवंडी साबो पावर लिमिटेड,	ताप विद्युत-कोयला	473
30	खबेरखेड़ा	90	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	574
31	बरखेड़ा	90	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	571
32	मकसूदपुर	90	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	562
33	उतरौला	90	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	556

34	कुन्दरखी	90	बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	540
35	ललितपुर पीजीसीएल	1980	ललितपुर पीजीसीएल	ताप विद्युत-कोयला	529
36	गोइंदवाल टीपीपी (जीवीके)	540	जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड,	ताप विद्युत-कोयला	632
37	अदानी पावर, मुंद्रा	1320	अदानी पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	483
38	अदानी पावर, मुंद्रा	1320	अदानी पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	
39	अदानी पावर, मुंद्रा	1980	अदानी पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	
40	रायपुर एनर्जन लिमिटेड	1370	अदानी पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	160
41	अदानी पावर महारा. लिमिटेड यूनिट 1 से 5	3300	अदानी पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	470
42	अडानी दहानु	500	एईएमएल	ताप विद्युत-कोयला	490
43	अमरावती टीपीपी	1350	रतनइंडिया पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	322
44	अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड (1200 मेगावाट पीपीए राजस्थान डिस्कॉम)	1320	अदानी पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	444
45	वेदांता लिमिटेड (पीपी-I)	30	वेदांता लिमिटेड. (पहले-सेसा स्टरलाइट लिमिटेड/गोवा एनर्जी लिमिटेड)	ताप विद्युत-गैस/डब्ल्यूएचआर	240
46	वेदांता लिमिटेड (पीपी-II)	30	वेदांता लिमिटेड. (पहले-सेसा स्टरलाइट लिमिटेड)	ताप विद्युत-गैस/डब्ल्यूएचआर	240
47	145 मेगावाट विद्युत संयंत्र (स्टेशन-I)	145	गुजरात इंडस्ट्रीज पीसीएल	ताप विद्युत-गैस	712
48	सूरत लिग्नाइट पीपी (एसएलपीपी स्टेशन-I)	250	गुजरात इंडस्ट्रीज पीसीएल	ताप विद्युत-एलआईजी	275
49	सूरत लिग्नाइट पीपी (एसएलपीपी स्टेशन-II)	250	गुजरात इंडस्ट्रीज पीसीएल	ताप विद्युत-एलआईजी	297
50	लैंको अमरकंटक टीपीपी पथडीह, यू-I	300	लैंको अमरकन पावर लिमिटेड,	ताप विद्युत-कोयला	325
51	लैंको अमरकंटक टीपीपी पथडीह, यू-II	300	लैंको अमरकन पावर लिमिटेड,	ताप विद्युत-कोयला	467
52	जिंदल पावर लिमिटेड एसटीपीपीएस-I	1000	जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार	ताप विद्युत-कोयला	469
53	जिंदल पावर लिमिटेड एसटीपीपीएस-II	2400	जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार	ताप विद्युत-कोयला	445
54	ट्रॉम्बे यूनिट 5	500	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	517
55	ट्रॉम्बे यूनिट 7	180	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-गैस	448
56	ट्रॉम्बे यूनिट 8	250	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	546
57	मुंद्रा यूएमपीपी	4150	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	265
58	कुरुपपुर गांव तंजौर	120	लैंको तंजौर पीसीएल	ताप विद्युत-गैस	407
59	एसबीयू 1 जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड विजयनगर	260	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	ताप विद्युत-आयात कोयला और गैस	627
60	एसबीयू 2 जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड विजयनगर	600	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	ताप विद्युत-आयात कोयलाL	662
61	एसबीयू 3 जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड यू-I, रत्नागिरी	1200	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	ताप विद्युत-आयात कोयलाL	226
62	लैंको केपीएल मॉड्यूल 1	368	लैंको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-गैस/एन	235
63	हिंदुजा नेशनल पीसीएल	1040	हिंदुजा नेशनल पीसीएल	ताप विद्युत-कोयला	447
64	रायगढ़ एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड	600	अदानी पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	160
65	उडुपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कर्नाटक डिस्कॉम-1080 मेगावाट)	1200	अदानी पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	612
66	स्पेक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड (गोदावरी गैस पावर संयुक्त चक्र पावर प्लांट)	208	स्पेक्ट्रम पीजी लिमिटेड	ताप विद्युत-गैस/एन	1723
67	ताका नेवेली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	250	ताका नेवेली	ताप विद्युत-एलआईजी	513
68	आईएल एंड एफएस टीएन पी कंपनी लिमिटेड यू1	600	आईएल एंड एफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	499
69	आईएल एंड एफएस टीएन पी कंपनी	600	आईएल एंड एफएस तमिलनाडु	ताप विद्युत-कोयला	436

	लिमिटेड यू 2		पावर कंपनी लिमिटेड		
70	बज बज	750	सीईएससी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	307
71	दक्षिणी उत्पादन स्टेशन	135	सीईएससी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	422
72	हल्दिया ऊर्जा	600	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड,	ताप विद्युत-कोयला	526
73	दिशेरगढ़ पावर स्टेशन	12	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन	ताप विद्युत-कोयला	531
74	कमलांगा टीपीएस	1050	जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड,	ताप विद्युत-कोयला	337
75	आधुनिक पावर यू-1	270	आधुनिक शक्ति	ताप विद्युत-कोयला	405
76	आधुनिक पावर यू-2	270	आधुनिक शक्ति	ताप विद्युत-कोयला	
77	झारसुगुड़ा, वेदांता लिमिटेड यू 1,3,4	1800	वेदांता लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	370
78	झारसुगुड़ा, वेदांता लिमिटेड 1215 मेगावाट टीपीपी कैप्टिव	1215	वेदांता लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	370
79	लानीगढ़, वेदांता लिमिटेड 90 मेगावाट सह-उत्पादन टीपीपी कैप्टिव	90	वेदांता लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	370
80	झारसुगुड़ा, वेदांता लिमिटेड यू2	600	वेदांता लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	251
81	जोजोबेरा यूनिट 1	68	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	596
82	जोजोबेरा यूनिट 2	120	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	359
83	जोजोबेरा यूनिट 3	120	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	379
84	जोजोबेरा यूनिट 4	120	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	443
85	जोजोबेरा यूनिट 5	120	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	152
86	जोजोबेरा फेज 6	120	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-डब्ल्यूएचआर	67
87	मैथॉन यूनिट 1 और 2	1050	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	408
88	कलिंगनगर-आईईएल यू1	68	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-अपशिष्ट गैस	168
89	कलिंगनगर-आईईएल यू2	68	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-अपशिष्ट गैस	168
90	पीपीजीसीएल	1980	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	339
91	एसकेएस पावर जेनरेशन छत्तीसगढ़ लिमिटेड (एसपीजीसीएल)	1200	एसकेएस पावर जेनरेशन छत्तीसगढ़ लिमिटेड (एसपीजीसीएल)	ताप विद्युत-कोयला	324
92	आरकेएमपीपीएल उच्छपिंडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (360x4)	1440	आरकेएम पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड,	ताप विद्युत-कोयला	421
93	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,	300	डीआईएल	ताप विद्युत-कोयला	407
94	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,	300	डीआईएल	ताप विद्युत-कोयला	428
95	सासन पावर	3960	सासन पावर लि	ताप विद्युत-कोयला	153
96	मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड, बंधाकर, द-पल्ली	300	मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड	ताप विद्युत-कोयला	344
97	अनपरा सी टीपीएस	1200	लैंको अनपरा	ताप विद्युत-कोयला	274

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1090
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विभिन्न स्रोतों से बिजली उत्पादन

1090. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्र/राज्य/निजी क्षेत्रों में बिजली उत्पादन की संस्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2023-24 के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से उत्पादन होने वाली बिजली का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है;
- (ख) वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न स्रोतों से बिजली उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए हैं; और
- (ग) पिछले वर्ष के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दिनांक 31.12.2023 तक की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन की क्षेत्र-वार अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता **अनुबंध-I** पर दी गई है। वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के दौरान विद्युत उत्पादन और पारंपरिक स्रोतों की प्रतिशत हिस्सेदारी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और स्रोत-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं। वर्तमान वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोतों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और स्रोत-वार उत्पादन के ब्यौरे **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

(ख) : वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान उत्पादन लक्ष्य और विद्युत उत्पादन **अनुबंध-IV** पर दिए गए हैं।

(ग) : मार्च, 2022 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता में 28802 मेगावाट की वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिसंबर, 2023 तक देश में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के ब्यौरे **अनुबंध-V** पर दिए गए हैं।

भारत सरकार ने देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) राष्ट्र के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2023-32 के बीच अनुमानित क्षमता वृद्धि नीचे दी गई है:

क) 26380 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता निर्माणाधीन है, 11960 मेगावाट के लिए बोली लगाई जा चुकी है और 19050 मेगावाट मंजूरी के अधीन है। वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित ताप विद्युत क्षमता वृद्धि 93380 मेगावाट होगी।

ख) 18033.5 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता (रुकी हुई परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित जल विद्युत क्षमता वृद्धि 42014 मेगावाट होगी।

ग) 8000 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित परमाणु क्षमता वृद्धि 12200 मेगावाट होगी।

घ) वर्तमान में 103660 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-32 तक अनुमानित आरई क्षमता वृद्धि 322000 मेगावाट होगी।

इस प्रकार, कुल 156073.5 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित क्षमता वृद्धि 469594 मेगावाट होगी।

(ii) देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,16,540 मेगावाट अंतरण क्षमता के साथ पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ते हुए 1,89,052 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 6,88,142 एमवीए रूपांतरण क्षमता और 80,590 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता को जोड़ा गया है। भारत का ग्रिड विश्व के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिडों में से एक बनकर उभरा है। पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ने से देश एक एकीकृत विद्युत बाजार में परिवर्तित हो गया है। वितरण कंपनियों देश के किसी भी कोने में किसी भी उत्पादक से सबसे सस्ती उपलब्ध दरों पर विद्युत खरीद सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ सस्ती हो सकेंगी।

(iii) भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 500000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 तक 500000 मेगावाट आरई क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना को आरई क्षमता वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iv) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।

(v) हमने पावर एक्सचेंजों में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएम) को जोड़ते हुए विद्युत बाजार में सुधार किए हैं। साथ ही, डिस्कॉमों द्वारा अल्पावधिक विद्युत की खरीद के लिए ई-बोली और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) की शुरुआत की गई थी।

(vi) हमने हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 180800 मेगावाट है और 103660 मेगावाट संस्थापना के अधीन है।

(vii) हमने विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाया है। एटीएंडसी हानियां वर्ष 2014-15 में 25.72% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.40% हो गई हैं। एलपीएस नियमों के कार्यान्वयन के बाद से, जेनकोज़ की पिछली देय राशियाँ दिनांक 03.06.2022 को 1,39,947 करोड़ रुपये से घटकर दिनांक 31.01.2024 तक 49,451 करोड़ रुपये हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम मौजूदा देय राशियों का भुगतान समय पर कर रही हैं।

क्षेत्रवार अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता के ब्यौरे

क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
केन्द्रीय क्षेत्र	102274.94
राज्य क्षेत्र	106332.93
निजी क्षेत्र	219691.40
कुल जोड़	428299.27

वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 23 तक) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और स्रोत-वार विद्युत उत्पादन और पारंपरिक स्रोतों की प्रतिशत हिस्सेदारी के ब्यौरे

(सभी आंकड़े एमयू में)

राज्य	क्षेत्र	कोयला	डीजल	हाई स्पीड डीजल	जल विद्युत	लिंगनाइट	नाफथा	प्राकृतिक गैस	न्युक्लियर	कुल उत्पादन (एमयू में)
		कुल का % (राज्य)	कुल का % (राज्य)	कुल का % (राज्य)	कुल का % (राज्य)	कुल का % (राज्य)	कुल का % (राज्य)	कुल का % (राज्य)	कुल का % (राज्य)	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	निजी क्षेत्र	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.02
	राज्य क्षेत्र	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.68
आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8325.01
	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20590.93
	राज्य क्षेत्र	95.49	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	24657.65
अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3752.98
असम	केन्द्रीय क्षेत्र	73.11	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	23.11	0.00	5375.97
	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	19.55	0.00	0.00	80.45	0.00	1614.68
बिहार	केन्द्रीय क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43267.06
	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43284.67
छत्तीसगढ़	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61256.67
	राज्य क्षेत्र	98.37	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15827.91
दिल्ली	आईपीपी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2891.10
गोवा	आईपीपी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	82.75	6723.34
	आईपीपी क्षेत्र	83.68	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00	10.89	0.00	40526.71
	निजी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2134.71
	राज्य क्षेत्र	71.05	0.00	0.00	16.92	9.15	0.00	2.88	0.00	21962.32
हरियाणा	केन्द्रीय क्षेत्र	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	6390.87
	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6504.20
	राज्य क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8683.59
हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23150.76
	आईपीपी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6738.90
	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2379.14
जम्मू एवं कश्मीर	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9641.89
	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4284.77
झारखंड	केन्द्रीय क्षेत्र	99.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14494.35
	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10171.25
	राज्य क्षेत्र	94.81	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1771.31
कर्नाटक	केन्द्रीय क्षेत्र	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.89	14304.87
	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7220.46
	राज्य क्षेत्र	68.77	0.00	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23253.79
केरल	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	आईपीपी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3895.44
लद्दाख	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.39
लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय क्षेत्र	91.94	0.00	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	47244.73
	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45766.63
	राज्य क्षेत्र	93.35	0.00	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22649.17

महाराष्ट्र	केन्द्रीय क्षेत्र	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	27.28	23350.32
	आईपीपी क्षेत्र	99.95	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35009.51
	निजी क्षेत्र	75.15	0.00	0.00	15.95	0.00	0.00	8.90	0.00	7565.96
	राज्य क्षेत्र	90.61	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	2.56	0.00	44882.17
मणिपुर	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.72
	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.12
मिजोरम	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.71
नागालैंड	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.53
ओडिशा	केन्द्रीय क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25559.10
	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14249.07
	राज्य क्षेत्र	64.30	0.00	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13719.19
पुदुचेरी	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	177.60
पंजाब	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.62
	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18317.91
	राज्य क्षेत्र	67.79	0.00	0.00	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9217.49
राजस्थान	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	17.76	0.00	4.94	77.30	6809.98
	आईपीपी क्षेत्र	55.41	0.00	0.00	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00	11503.61
	निजी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य क्षेत्र	96.02	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	2.10	0.00	32534.14
सिक्किम	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2226.29
	आईपीपी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1973.30
	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4292.76
तमिलनाडु	केन्द्रीय क्षेत्र	28.95	0.00	0.00	0.00	37.44	0.00	0.00	33.61	34068.78
	आईपीपी क्षेत्र	91.66	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	12251.63
	राज्य क्षेत्र	80.97	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	6.31	0.00	22483.80
तेलंगाना	केन्द्रीय क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13470.14
	राज्य क्षेत्र	96.25	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28566.62
त्रिपुरा	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	4580.74
	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	364.98
उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय क्षेत्र	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	3.36	61194.90
	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32472.97
	राज्य क्षेत्र	97.45	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26199.14
उत्तराखण्ड	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4807.79
	आईपीपी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	89.64	0.00	0.00	10.36	0.00	3418.12
	राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4013.19
पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय क्षेत्र	96.83	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33828.43
	आईपीपी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4823.90
	निजी क्षेत्र	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5116.80
	राज्य क्षेत्र	94.93	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25265.64
भूटान	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4672.10
कुल जोड़										
1136480.49										

वर्ष 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अखिल भारतीय उत्पादन के ब्यौरे

(सभी आंकड़े एमयू में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पवन	सोलर	बायोमास	खोई	लघु जल विद्युत	अन्य	नवीकरणीय ऊर्जा कुल
चंडीगढ़	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
दिल्ली	0.00	154.90	0.00	0.00	0.00	382.05	536.95
हरियाणा	0.00	701.62	218.99	57.46	178.80	44.91	1201.78
हिमाचल प्रदेश	0.00	44.94	0.00	0.00	2314.92	0.00	2359.86
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	347.34	0.00	347.34
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	2403.38	440.49	83.69	545.28	0.00	3472.84
राजस्थान	6861.59	28274.90	279.48	0.00	2.56	0.00	35418.53
उत्तर प्रदेश	0.00	2966.98	24.39	1486.24	126.03	76.69	4680.33
उत्तराखंड	0.00	248.85	0.00	186.39	265.05	0.00	700.29
उत्तरी क्षेत्र	6861.59	34805.56	963.35	1813.77	3779.98	503.65	48727.90
छत्तीसगढ़	0.00	622.30	1038.31	8.85	134.17	0.00	1803.63
गुजरात	19804.55	9499.73	0.00	0.74	145.11	0.00	29450.12
मध्य प्रदेश	3946.61	2696.29	64.85	27.28	355.13	19.86	7110.02
महाराष्ट्र	7121.00	4130.21	228.17	1561.09	684.92	13.92	13739.31
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	11.10	9.71	0.00	0.00	0.00	20.81
गोवा	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00	5.92	51.64
पश्चिमी क्षेत्र	30872.15	17005.34	1341.04	1597.96	1319.33	39.70	52175.53
आंध्र प्रदेश	7257.52	5990.90	13.38	32.57	95.97	230.68	13621.02
तेलंगाना	242.92	4988.87	3.88	38.82	50.16	108.33	5432.98
कर्नाटक	9216.22	11119.16	44.20	1637.40	1297.11	0.00	23314.08
केरल	196.72	840.23	0.00	60.45	612.62	0.03	1710.05
तमिलनाडु	15177.48	8468.41	95.56	423.43	142.21	0.00	24307.08
लक्षद्वीप	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
पुदुचेरी	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
दक्षिणी क्षेत्र	32090.85	31416.82	157.01	2192.67	2198.06	339.05	68394.46
अंडमान निकोबार	0.00	18.10	0.00	0.00	9.31	0.00	27.41
बिहार	0.00	140.65	0.00	72.73	5.51	0.00	218.89
झारखंड	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
ओडिशा	0.00	548.77	73.21	0.00	350.59	0.00	972.57
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27	0.00	9.27
पश्चिम बंगाल	0.00	119.30	0.00	0.00	163.65	1157.18	1440.13
पूर्वी क्षेत्र	0.00	840.05	73.21	72.73	538.32	1157.18	2681.49
अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.59	0.00	0.00	0.52	0.00	2.11
असम	0.00	238.47	0.00	0.00	56.58	0.39	295.44
मणिपुर	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	1.23	7.02
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	53.60
मिजोरम	0.00	2.39	0.00	0.00	71.95	0.00	74.34
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	72.93	0.00	72.93
त्रिपुरा	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.00	251.82	0.00	0.00	255.57	1.62	509.02
अखिल भारत कुल	69824.59	84319.58	2534.61	5677.13	8091.27	2041.21	172488.40

वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन लक्ष्य तथा विद्युत उत्पादन के ब्यौरे

(सभी आंकड़े एमयू में)

ईंधन		2022-23		2023-24 (दिसम्बर तक)	
		प्रोग्राम	उत्पादन	प्रोग्राम (दिसम्बर तक)	उत्पादन
तापीय	कोयला	1181153.00	1145907.58	932087.00	932258.66
	डीजल	151.00	229.71	84.00	300.50
	हाई स्पीड डीजल	0.00	0.00	0.00	0.00
	लिंगनाइट	34170.00	36188.34	27063.00	24324.57
	नाफ्था	0.00	0.83	0.00	0.00
	प्राकृतिक गैस	41914.00	23884.21	23814.00	23903.53
न्युक्लियर	न्युक्लियर	43324.00	45861.09	34534.00	36263.36
जल विद्युत	जल विद्युत	150661.00	162098.77	131808.00	114757.77
भूटान से आयात	भूटान से आयात	8000.00	6742.40	6702.00	4672.10
नवीकरणीय (बड़ी जल विद्युत के अतिरिक्त)	नवीकरणीय (बड़ी जल विद्युत के अतिरिक्त)	184000.00	203552.68	215000	172488
कुल जोड़		1643373.00	1624465.61	1371092.00	1308968.49

लो.स.अता.प्र.सं. 1090

अनुबंध-V

पिछले दो वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान दिसंबर, 2023 तक देश में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी विद्युत उत्पादन क्षमता के ब्यौरे।

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	अखिल भारत	उत्पादन क्षमता में वृद्धि
31/03/2022	99005	104855	195637	399497	
31/03/2023	100055	105726	210278	416059	16562
31/12/2023	102275	106333	219691	428299	12240
कुल					28802

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1109
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ
कोयले से संचालित विद्युत गृह

1109. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान कोयले की मात्रा, स्रोतों और संबंधित प्रवृत्ति सहित इसके आयात का ब्यौरा क्या है;
- (ख) वित्तीय मानदंडों और पर्यावरणीय अनुपालन पर बल देते हुए कोयला आधारित विद्युत गृहों के लिए विद्यमान ऋण मानकों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) कोयला क्षेत्र में विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) के लिए प्रमुख निबंधन और शर्तों सहित वर्तमान ढांचे का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) निकट भविष्य में कोयला आधारित उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए क्या कार्य-नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों और आयातित कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(सभी आंकड़े मिलियन टन में)

अवधि	आयातित कोयले की प्राप्ति			
	घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयात (सम्मिश्रण के लिए)	आयातित कोयला आधारित संयंत्र द्वारा आयात	कुल आयात	% वृद्धि
2018-19	21.4	40.3	61.7	-
2019-20	23.8	45.5	69.2	12.3%
2020-21	10.4	35.1	45.5	-34.3%
2021-22	8.1	18.9	27.0	-40.6%
2022-23	35.1	20.5	55.6	106.1%
2023-24 (अप्रैल-दिसंबर)	17.1	29.5	46.6	3.9%*

* इस वृद्धि की तुलना वर्ष 2022-23 की इसी अवधि से की गई है।

[अवधि के दौरान: अप्रैल-दिसंबर (2022-23), कुल आयात 44.8 मीट्रिक टन था [घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयात (सम्मिश्रण के लिए): 28.8 मीट्रिक टन + आयातित कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयात: 16.0 मीट्रिक टन]

घरेलू कोयले पर डिज़ाइन किए गए विद्युत संयंत्र सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए आयातित कोयले का उपयोग करते हैं जबकि आयातित कोयले पर डिज़ाइन किए गए विद्युत संयंत्र अपनी ईंधन आवश्यकता के लिए कोयले का आयात करते हैं।

चूँकि कोयला ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत है, विद्युत संयंत्र अपनी प्राथमिकता और अपनी व्यावसायिक विवेकशीलता के आधार पर स्रोत के अनुसार कोयले का आयात करते हैं।

(ख) : वित्तीय संस्थान विवेकपूर्ण वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए कोयला-आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए विशिष्ट ऋण संबंधी मानदंडों का पालन करते हैं। इन मानदंडों में अधिकतम ऋण के साथ समुचित पूंजीगत संरचना बनाए रखना: 80:20 का इक्विटी अनुपात और आंतरिक रिटर्न दर (आईआरआर) और ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) जैसे स्वीकार्य वित्तीय अनुपात शामिल हैं। निधियाँ आमतौर पर ऋणदाताओं के संघ द्वारा प्रदान की जाती हैं और ऋण चुकौती अवधि परियोजना के आर्थिक कार्यकाल के 80% तक सीमित है।

इसके साथ-साथ, पर्यावरण अनुपालन एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य जैसे संबंधित प्राधिकारियों से मंजूरी की आवश्यकता होती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, भूमि अधिग्रहण की स्थिति और संभावित प्रदूषण प्रभाव के साथ-साथ कोयला लिंकेज, जल आवंटन और चिमनी की ऊंचाई के लिए विमानन संबंधी मंजूरी से संबंधित अन्य वैधानिक मंजूरीयों जैसे कारकों पर विचार करते हुए, परियोजनाओं का गहन विश्लेषण किया जाता है। इन शर्तों और दस्तावेज़ीकरण के पूर्ण अनुपालन पर ही निधियाँ संवितरित की जाती हैं।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत विद्युत क्रय करार (पीपीए) विद्युत की खरीद के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल पीपीए द्वारा निर्देशित होते हैं। मॉडल पीपीए में, अन्य बातों के साथ-साथ, कानून में बदलाव, अप्रत्याशित घटना, टैरिफ, कार्यनिष्पादन सुरक्षा, चूक होने के परिणाम, भुगतान सुरक्षा तंत्र आदि के प्रावधान हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के लिए निम्नलिखित रूपरेखा जारी की है:

1. एफओओ (वित्त, स्वामित्व और प्रचालन)
2. डीबीएफओओ (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन)
3. डीबीएफओटी (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण)

(घ) : राष्ट्र के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2031-32 तक कुल अनुमानित तापविद्युत क्षमता वृद्धि 93380 मेगावाट होगी। वर्तमान में, 26380 मेगावाट की तापविद्युत क्षमता निर्माणाधीन है, 11960 मेगावाट की बोली लगाई जा चुकी है और 19050 मेगावाट मंजूरी के अधीन है। इस क्षमता के जुड़ने से वर्ष 2031-32 में संस्थापित तापविद्युत क्षमता 283000 मेगावाट हो जाएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1111

8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत क्षमता का विस्तार

1111. श्री मनोज कोटक:

श्री गणेश सिंह:

श्री तापिर गाव:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ताप विद्युत क्षमता का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विस्तार की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता कम करने और ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन स्तरों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2014 से कोयला, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित बिजली के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्ष 2031-32 तक अनुमानित विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संकटग्रस्त परिदृश्य पर विचार करते हुए उत्पादन योजना अध्ययन किया गया है। अध्ययन के परिणामों के अनुसार, यह परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2032 में देश की आधारभूत भार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, 214 गीगावॉट की वर्तमान स्थापित क्षमता की तुलना में आवश्यक कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संस्थापित क्षमता 283 गीगावॉट है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2031-32 तक अतिरिक्त न्यूनतम 80 गीगावॉट कोयला आधारित क्षमता संस्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना में विचार की गई नई कोयला आधारित तापविद्युत क्षमता की संस्थापना के लिए अनुमानित पूंजीगत लागत 8.34 करोड़ रुपये/मेगावाट (वर्ष 2021-22 के मूल्य स्तर पर) है। इसलिए, तापविद्युत क्षमता वृद्धि पर वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 6,67,200 करोड़ रुपये व्यय होने की उम्मीद है।

(ग) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2031-32 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 5,00,000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाए जाने की योजना बनाई है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- स्वचालित पद्धति द्वारा 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
- दिनांक 30 जून, 2025 तक आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारिषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट;
- वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) की ट्रेजेक्ट्री की घोषणा;

- आरई परियोजनाओं की बड़े पैमाने पर संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि तथा पारेषण प्रदान करने हेतु अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना;
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप फेज-II, 12,000 मेगावाट केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) स्कीम फेज-II आदि जैसी स्कीमें;
- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनों को बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना;
- सौर फोटोवाल्टेयिक प्रणालियों/उपकरणों के नियोजन के लिए मानदंडों की अधिसूचना;
- निवेश आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास सेल की स्थापना;
- ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी और पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशानिर्देश;
- सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि आरई उत्पादकों को वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) अथवा अग्रिम भुगतान के निमित्त पर विद्युत भेजी जाएगी;
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन हेतु अधिसूचना।
- “विद्युत (विलम्बित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम) की अधिसूचना;
- एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की बिक्री की सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत;
- भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया; और,
- वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आरई विद्युत बोलियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्ट्री की अधिसूचना जारी की जाएगी। इस ट्रेजेक्ट्री के अंतर्गत, 50 गीगावाट/वर्ष आरई बोलियां जारी की जाएंगी।

इसके अलावा, ताप विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन स्तरों को कम करने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिनांक 07.12.2015 को जारी अधिसूचना और तत्पश्चात किए गए संशोधनों द्वारा कोयला आधारित तापविद्युत संयंत्रों से इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी), फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), NO_x दहन में परिवर्तन आदि का उपयोग करके सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम), SO_x और NO_x जैसे स्टैक उत्सर्जन को कम करने के संबंध में मानदंडों को अधिसूचित किया गया है।
- सबक्रिटिकल तापविद्युत इकाइयों की तुलना में कुशल अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल/सुपरक्रिटिकल इकाइयों की संस्थापना को बढ़ावा दिया जाना।
- बायोमास को-फायरिंग- विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग संबंधी नीति जारी की है, ताकि तकनीकी व्यवहार्यता के आकलन के पश्चात कोयले के साथ-साथ मुख्य रूप से कृषि-अवशेषों से बने बायोमास के छर्कों के 5-10% मिश्रण का उपयोग किया जा सके।

(घ) : वर्ष 2014 से कोयला, गैस, जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित बिजली के प्रतिशत का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत का प्रतिशत

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक वर्षवार उत्पादन (दिसंबर तक)											
स्रोत के नाम		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (दिसंबर तक)
		कुल उत्पादन का %	कुल उत्पादन का %	कुल उत्पादन का %	कुल उत्पादन का %	कुल उत्पादन का %	कुल उत्पादन का %	कुल उत्पादन का %	कुल उत्पादन का %	कुल उत्पादन का %	कुल उत्पादन का %
पारंपरिक	कोयला	72.08	73.45	73.30	72.76	71.77	69.20	68.82	69.81	70.54	71.22
	लिग्नाइट	3.20	2.92	2.80	2.66	2.51	2.37	2.21	2.49	2.23	1.86
	डीजल	0.13	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
	नेफ्था	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	प्राकृतिक गैस	3.61	4.00	3.95	3.83	3.62	3.49	3.68	2.41	1.47	1.83
	उप योग	79.10	80.42	80.07	79.28	77.92	75.07	74.72	74.72	74.25	74.93
	न्यूक्लियर	3.25	3.19	3.05	2.93	2.75	3.35	3.11	3.16	2.82	2.77
	जलविद्युत	11.64	10.34	9.86	9.64	9.80	11.21	10.88	10.16	9.98	8.77
	भूटान से आयात	0.45	0.45	0.45	0.37	0.32	0.42	0.63	0.50	0.42	0.36
	कुल पारंपरिक	94.44	94.39	93.43	92.21	90.79	90.04	89.34	88.54	87.47	86.82
नवीकरणीय ऊर्जा	पवन	3.04	2.81	3.70	4.03	4.51	4.65	4.35	4.60	4.42	5.33
	सौर	0.42	0.63	1.09	1.98	2.85	3.61	4.37	4.93	6.28	6.44
	बायोमास	0.28	0.32	0.34	0.26	0.20	0.21	0.25	0.23	0.19	0.19
	खोई	1.06	1.10	0.80	0.91	0.99	0.78	0.82	0.84	0.79	0.43
	लघु जलविद्युत	0.72	0.71	0.62	0.59	0.63	0.68	0.74	0.70	0.69	0.62
	अन्य	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.12	0.15	0.16	0.16
कुल नवीकरणीय ऊर्जा	5.56	5.61	6.57	7.79	9.21	9.96	10.66	11.46	12.53	13.18	
कुल जोड़	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1116
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियां

1116. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि डिस्कॉम की नवीनतम उपभोक्ता सेवा रेटिंग रिपोर्ट में अनेक विद्युत वितरण कंपनियों ने प्रतिष्ठित ए+ रेटिंग हासिल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में काफी कमी आई है जो पहले 27 प्रतिशत थी और अब यह घटकर 15 प्रतिशत रह गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि वितरण कंपनियों के घाटे में 12 प्रतिशत की कमी से समग्र घाटा 1,25,000 करोड़ रुपये से घटकर 50,000 करोड़ हो गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग को सक्षम बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय रूप से सुदृढ़ और प्रचालनात्मक रूप से मजबूत विद्युत क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्युत उपभोक्ता, विद्युत उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक होते हैं। उपभोक्ताओं के लिए विद्युत सेवाओं में वृद्धि करने संबंधी अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के क्रम में, विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न शुरुआतों की हैं। विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 प्रख्यापित किए गए हैं जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति "सशक्त" बनाना है और साथ ही इसका उद्देश्य सेवा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना है जिनके लिए डिस्कॉमों द्वारा इन न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति का अधिकार, पारदर्शी बिलिंग और टैरिफ संबंधी जानकारी का अधिकार, समय पर और प्रभावी शिकायत निवारण का अधिकार और कार्य निष्पादन संबंधी मानकों को पूरा नहीं करने पर डिस्कॉम द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुआवजे का अधिकार शामिल है।

चूंकि विद्युत क्षेत्र का उद्देश्य उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करना एवं विश्वसनीयता प्राप्त करना है, अतः डिस्कॉमों के लिए अपने समग्र कार्य निष्पादन को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों, प्रमुख उपभोक्ता सेवाओं की पहचान करना और न्यूनतम मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है। माननीय विद्युत मंत्री द्वारा डिस्कॉमों की उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी) वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई थी। इससे डिस्कॉमों को अपने कार्य निष्पादन का स्व-मूल्यांकन करने और अपने समकक्ष डिस्कॉमों और राष्ट्रीय औसत के

साथ तुलना करने में भी मदद मिली। यह अभ्यास उपभोक्ता सेवाओं के प्रमुख मापदंडों, नामतः प्रचालनात्मक विश्वसनीयता; कनेक्शन सेवाएँ; मीटरिंग, बिलिंग एवं संग्रहण सेवाएँ तथा दोष सुधार एवं शिकायत निवारण पर प्रकाश डालता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की डिस्कॉमों की उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी) रिपोर्ट के अनुसार, डिस्कॉमों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बेहतर ग्रेडिंग हासिल करने वाले डिस्कॉमों की संख्या में सुधार हुआ है। जबकि वर्ष 2022 के लिए, किसी भी डिस्कॉम को ए+ श्रेणी ग्रेड प्राप्त नहीं हुआ था, वर्ष 2023 में 4 डिस्कॉमों ने ए+ ग्रेड प्राप्त किया है और 8 डिस्कॉम ने ए श्रेणी प्राप्त की है, जिनके ब्यौरे अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) : भारत सरकार वित्तीय रूप से सुरक्षित, व्यवहार्य और संधारणीय विद्युत क्षेत्र (विशेष रूप से वितरण खंड) के उद्देश्य से विभिन्न कार्य निष्पादन संबद्ध और परिणाम उन्मुखी स्कीमों में कार्यान्वित कर रही हैं। इन शुरुआतों को डिस्कॉमों और राज्य सरकारों में वांछित वित्तीय अनुशासन लाने के लिए वित्तीय और प्रचालनात्मक मुद्दों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उठाए गए कदमों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

- (i). राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी नियमावली।
- (ii). यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ अद्यतित हैं।
- (iii). समय पर ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना।
- (iv). जेनकोज को समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करना।
- (v). संशोधित विवेकपूर्ण मानदंडों में यह प्रावधान किया गया है कि घाटे में चल रहे डिस्कॉमों पीएफसी/आरईसी या भारत सरकार की किसी भी विद्युत क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत निधियों से ऋण नहीं ले पाएंगी, जब तक कि वे घाटे में कमी करने संबंधी उपाय नहीं करती हैं।
- (vi). यदि डिस्कॉम हानि कम करने संबंधी उपाय करते हैं तो जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने का प्रोत्साहन देना।
- (vii). डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य के अंतर्गत 1.85 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचनात्मक कार्यों को निष्पादन किया गया।
- (viii). इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से संधारणीय और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) प्रारंभ की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत सरकार से सकल बजटीय सहायता 97,631 करोड़ रुपये है।

राज्यों और डिस्कॉमों को निधि की स्वीकार्यता उनकी प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षताओं में सुधार के लिए कदम उठाने पर आधारित होगी।

सुधार संबंधी उपायों को कार्यान्वित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों और वितरण कंपनियों के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्त वर्ष 2014-15 में 25.72% से घट कर वित्त वर्ष 2022-23 में 15.4% (अंतिम) हो गई हैं। एटीएंडसी हानियों में कमी से यूटिलिटीयों के वित्त में सुधार होता है, जो उन्हें प्रणाली को बेहतर बनाए रखने और आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत क्रय करने में सक्षम करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, एटीएंडसी हानियों में कमी के परिणामस्वरूप औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के बीच के अंतर में कमी आई है। एसीएस-एआरआर अंतर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 0.78 रुपए/किलोवाट से घट कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 0.45 रुपए/किलोवाट हो गया है। इस प्रकार, डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम का नाम	श्रेणी
1	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)	ए+
2	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)	ए+
3	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)	ए+
4	उत्तर प्रदेश	नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल)	ए+
5	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीसीपीडीसीएल)	ए
6	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल)	ए
7	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीएसपीडीसीएल)	ए
8	महाराष्ट्र	अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल)	ए
9	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल)	ए
10	तमिलनाडु	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनजेडको)	ए
11	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएनपीडीसीएल)	ए
12	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएसपीडीसीएल)	ए

एटीएंडसी हानि (%)

	2014-15	2022-23
राज्य क्षेत्र	25.78	15.81
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-
आंध्र प्रदेश	10.55	8.57
अरुणाचल प्रदेश	67.83	57.59
असम	25.84	16.22
बिहार	43.99	25.01
छत्तीसगढ़	27.84	16.14
गोवा	13.31	11.85
गुजरात	16.06	10.65
हरियाणा	32.52	12.01
हिमाचल प्रदेश	16.84	10.59
जम्मू एवं कश्मीर (जेकेपीडीडी)	61.27	*
झारखंड	47.85	30.28
कर्नाटक	18.71	13.91
केरल	17.64	7.05
लद्दाख	-	30.33
मध्य प्रदेश	30.88	20.55
महाराष्ट्र (एमएसईडीसीएल और बीईएसटी)	19.25	18.58
मणिपुर	48.30	13.82
मेघालय	40.00	23.97
मिजोरम	33.51	26.27
नागालैंड	78.48	45.81
पुदुचेरी	13.34	17.49
पंजाब	17.20	11.26
राजस्थान	29.28	15.90
सिक्किम	42.37	36.69
तमिलनाडु	24.74	10.31
तेलंगाना	13.23	18.65
त्रिपुरा	36.23	28.15
उत्तर प्रदेश	46.32	22.33
उत्तराखंड	18.82	15.32
पश्चिम बंगाल	35.35	17.32
अन्य (एनएमडीसी और टीसीईडी)	-	10.28
निजी क्षेत्र	24.66	10.95
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (डीएनएचडीडीपीडीसीएल)	-	3.58
दिल्ली	12.90	7.12
महाराष्ट्र (ईईएमएल तथा टीपीएमएल)	-	6.48
ओडिशा	38.30	21.85
उत्तर प्रदेश (एनपीसीएल)	-	8.36
पश्चिम बंगाल (सीईएससी तथा आईपीसीएल)	-	8.15
गुजरात (टीपी अहमदाबाद तथा सूरत)	-	4.02
कुल जोड़	25.72	15.40

एसीएस-एआरआर अंतर

(रूपये/केडब्ल्यूएच)

	2013-14	2022-23
राज्य क्षेत्र	0.83	0.50
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		
आंध्र प्रदेश	0.18	(0.37)
अरुणाचल प्रदेश	6.59	0.00
असम	1.00	0.62
बिहार	0.24	0.00
चण्डीगढ़		(3.59)
छत्तीसगढ़	0.28	0.26
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव		
गोवा	0.01	(0.14)
गुजरात	(0.02)	(0.02)
हरियाणा	0.75	(0.15)
हिमाचल प्रदेश	0.13	0.86
जम्मू एवं कश्मीर	2.66	
झारखंड	3.39	2.45
कर्नाटक	0.09	0.32
केरल	(0.05)	0.34
लद्दाख		2.18
लक्षद्वीप		
मध्य प्रदेश	1.25	(0.20)
महाराष्ट्र	0.12	1.24
मणिपुर	3.01	1.30
मेघालय	1.56	0.67
मिजोरम	4.00	1.71
नागालैंड	3.03	(0.32)
पुदुचेरी	(0.18)	0.39
पंजाब	(0.05)	0.20
राजस्थान	2.63	0.20
सिक्किम	(0.39)	(0.68)
तमिलनाडु	1.81	0.89
तेलंगाना	0.00	1.40
त्रिपुरा	0.78	0.60
उत्तर प्रदेश	2.16	1.19
उत्तराखंड	(0.27)	0.72
पश्चिम बंगाल	(0.01)	0.32
अन्य (एनएमडीसी और टीसीडी)		0.85
निजी क्षेत्र	(0.02)	(0.19)
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (डीएनएचडीडीपीडीसीएल)		(0.14)
दिल्ली	(0.13)	(0.04)
महाराष्ट्र (एईएमएल तथा टीपीएमएल)		(0.04)
ओडिशा	0.15	(0.25)
उत्तर प्रदेश (एनपीसीएल)		(0.79)
पश्चिम बंगाल (सीईएससी तथा आईपीसीएल)		(0.18)
गुजरात (टीपी अहमदाबाद तथा सूरत)		(0.50)
कुल जोड़	0.78	0.45
